

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
आदेश

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईस सिटी, पटना के निर्माण कार्य के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (वर्तमान विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के पत्रांक-1333 दिनांक 07.06.2017 के द्वारा भवनों के निर्माण, प्रदर्श अधिष्ठापन एवं स्थापना व्यय हेतु कुल ₹397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक-4840 दिनांक 28.12.2023 के द्वारा ₹889.9832 करोड़ (आठ सौ नवासी करोड़ अठानवे लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निर्माण कार्य (असैनिक कार्य) हेतु जी०एस०टी० एवं मुल्यवृद्धि दर सहित ₹451.4985 करोड़ (चार सौ इक्कावन करोड़ उनचास लाख पचासी हजार रुपये), प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु ₹350.4847 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) एवं कॉरपस फंड के लिए ₹88.00 (अठसी करोड़ रुपये) करोड़ राशि कर्णांकित की गई है।

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईस सिटी, पटना में कुल 05 प्रदर्श गैलरियों का निर्माण किया जाना है। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गैलरीवार प्राक्कलित राशि निम्नवत् है :-

I. बी ए साईटिस्ट गैलरी	—	₹14.18 करोड़
II. बेसिक साईस गैलरी	—	₹76.73 करोड़
III. सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी	—	₹83.35 करोड़
IV. एस्ट्रोनामी एण्ड स्पेस गैलरी	—	₹76.54 करोड़
V. बॉडी एण्ड माइंड गैलरी	—	₹72.80 करोड़

3. राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-01.10.2024 के मद संख्या-35 के द्वारा दिये गये स्वीकृति एवं तदनु रूप संकल्प ज्ञापांक-8053(भ) दिनांक-04.10.2024 के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य को 02 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग में बी.ए. साईटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईस गैलरी को रखा गया है जिसकी समेकित प्राक्कलित राशि ₹90.92 करोड़ है एवं द्वितीय भाग में सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनामी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरी, ब्रांडिंग साईनेज एवं अन्य असैनिक कार्य को शामिल किया गया है जिसकी समेकित प्राक्कलित राशि ₹246.91 करोड़ है।

4. प्रथम भाग के बी.ए. साईटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईस गैलरी में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु एन.सी.एस.एम. के माध्यम से सी.एम.डी. द्वारा प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु ₹75,09,32,460.00 (पचहत्तर करोड़ नौ लाख, बत्तीस हजार चार सौ साठ रुपये) (NCSM के 05 प्रतिशत सेवा शुल्क एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) का प्रस्ताव दिया गया है जो इन दो गैलरियों के लिए स्वीकृत राशि ₹90.92 करोड़ के अन्तर्गत है। इस राशि में से नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्यूजियम (NCSM) को सेवा शुल्क के रूप में ₹3,75,46,623.00 (तीन करोड़ पचहत्तर लाख छियालीस हजार छः सौ तेईस रुपये) मात्र एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को ₹71,33,85,837.00 (इकहत्तर करोड़ तैंतीस लाख पचासी हजार आठ सौ सैंतीस रुपये) मात्र का भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त प्रस्ताव के आलोक में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य शीघ्रता से कराने के उद्देश्य से बी.ए. साईटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईस गैलरी में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्यूजियम (NCSM) के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित किया गया है।

6. नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्यूजियम (NCSM) के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रथम फेज में बी.ए. साईटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईस गैलरी के 35 प्रदर्श का अधिष्ठापन कार्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। अगले 12 माह में द्वितीय फेज के तहत बेसिक साईस गैलरी एवं बचे हुए 47 प्रदर्शों के अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार बी.ए. साईटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईस गैलरी का संपूर्ण कार्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 24 माह में पूर्ण किया जाएगा।

7. नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्यूजियम (NCSM) बी.ए. साईटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईस गैलरी में प्रदर्शों एवं ऑडियो-विजुअल सिस्टम के विस्तृत डिजाईन, फैंट्रिकेशन, आपूर्ति, अधिष्ठापन, परीक्षण एवं क्रियान्वित करने हेतु जिम्मेवार होगी। प्रदर्शों के निर्माण एवं अधिष्ठापन से संबंधित सभी तकनीकी विशिष्टियों तथा मानकों का निर्धारण की जिम्मेवारी क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता की होगी जो इस कार्य के लिए ओरिजनल इक्वूपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) माने जाएंगे।

8. राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्यूजियम (NCSM) को प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु निम्न प्रकार भुगतान किया जाएगा :-

(क). एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने के उपरांत 07 दिनों के भीतर एन.सी.एस.एम. द्वारा उद्धृत राशि ₹75,09,32,460.00 (पचहत्तर करोड़ नौ लाख बत्तीस हजार चार सौ साठ रुपये) का 30 प्रतिशत यानि ₹22,52,79,738.00 (बाईस करोड़ बावन लाख उन्नासी हजार सात सौ अड़तीस रुपये) का भुगतान एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

(ख). भवन निर्माण विभाग एवं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समिति द्वारा प्रथम फेज के प्रदर्शों के लिए शॉप ड्राईंग एवं विशिष्टियों के अनुमोदन के उपरांत द्वितीय किस्त के रूप में कुल लागत का 15 प्रतिशत यानि ₹11,26,39,869.00 (ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ उनहत्तर रुपये) का भुगतान प्रो राटा के आधार पर एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

(ग). बी.ए. साईटिस्ट गैलरी के सभी 12 प्रदर्शों के अधिष्ठापन एवं फेज-2 के प्रदर्शों हेतु शॉप ड्राईंग एवं विशिष्टियों के अनुमोदन के उपरांत तृतीय किस्त के रूप में कुल लागत राशि का 30 प्रतिशत यानि ₹22,52,79,738.00 (बाईस करोड़ बावन लाख उन्नासी हजार सात सौ अड़तीस रुपये) का भुगतान प्रो राटा के आधार पर एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

(घ). फेज-1 के अधीन अधिष्ठापित किए जाने वाले सभी प्रदर्शों के अधिष्ठापन के उपरांत चतुर्थ किस्त के रूप में कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत यानि ₹11,26,39,869.00 (ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ उनहत्तर रुपये) का भुगतान प्रो राटा के आधार पर एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

(ङ). फेज-2 के अधीन अधिष्ठापित किए जाने वाले सभी प्रदर्शों के अधिष्ठापन पूर्ण होने यानि बी.ए. साईटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साईस गैलरी के सभी प्रदर्शों के अधिष्ठापन एवं हस्तान्तरण के उपरांत लागत राशि का शेष 10 प्रतिशत यानि ₹7,50,93,246.00 (सात करोड़ पचास लाख तिरानवे हजार दो सौ छियालीस रुपये) का भुगतान एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

9. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईस सिटी, पटना में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्यूजियम्स, कोलकाता के द्वारा क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स कोलकाता के माध्यम से कार्य कराने हेतु भवन निर्माण विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करेंगे। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर के पूर्व विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सहमति एवं विधि विभाग की विधिक्षा उचित माध्यम से प्राप्त कर लेंगे।

10. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईस सिटी, पटना के सरटेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनाॅमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरी, ब्रांडिंग साईनेज एवं अन्य असैनिक कार्य को शामिल किया गया है जिसकी समेकित प्राक्कलित राशि ₹246.91 करोड़ है, के लिए कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा निविदा प्रकाशित कर कार्य एजेंसी के चयन की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही समानांतर रूप से एन.सी. एस.एम. से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स नामक संस्था के माध्यम से शेष 03 गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य कराए जाने के बिन्दु पर एन.सी.एस.एम. की सहमति एवं प्रस्ताव प्राप्त करने का प्रयास भवन निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी। दोनों विकल्पों में से एक के चयन पर व्यवहारिकता/प्राप्त अनुभव या लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सहमति के साथ भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

11. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-01.10.2024 की बैठक में मद संख्या-35 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है तथा संकल्प ज्ञापांक-8053(भ), दिनांक-04.10.2024 द्वारा संसूचित है।

(कुमार सवि)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- भ०/मु०अ०(प०)यो०वि०वि०-8-181/2016(अंश-2) 8431 (म) पटना, दिनांक-18/10/24
प्रतिलिपि-सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य वास्तुविद/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निरूपण उपभाग, निदेशक, अनुश्रवण/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल/दक्षिण बिहार अंचल/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण एवं कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं०-2/पटना भवन प्रमंडल एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कुमार सवि)

सरकार के सचिव।

240

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषय:- डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स, कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131 ज्ञ(इ) के आलोक में नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन करने के संबंध में।

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के निर्माण कार्य के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (वर्तमान विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के पत्रांक-1333 दिनांक 07.08.2017 के द्वारा भवनों के निर्माण, प्रदर्श अधिष्ठापन एवं स्थापना व्यय हेतु कुल ₹397.00 करोड़ (तीन सौ सत्तानवे करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक-4840 दिनांक 28.12.2023 के द्वारा ₹889.9832 करोड़ (आठ सौ नवासी करोड़ अठानवे लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निर्माण कार्य (असैनिक कार्य) हेतु जी०एस०टी० एवं मूल्यवृद्धि दर सहित ₹451.4985 करोड़ (चार सौ इक्कावन करोड़ उनचास लाख पचासी हजार रुपये), प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु ₹350.4847 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़ अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) एवं कॉरपस फंड के लिए ₹88.00 (अठासी करोड़ रुपये) करोड़ राशि कर्णांकित की गई है।

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना में कुल 05 प्रदर्श गैलरियों का निर्माण किया जाना है। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गैलरीवार प्राक्कलित राशि निम्नवत् है :-

I. बी ए साईंटेस्ट गैलरी	—	₹14.18 करोड़
II. बेसिक साईंस गैलरी	—	₹76.73 करोड़
III. सस्पेनेबल प्लेनेट गैलरी	—	₹83.35 करोड़
IV. एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी	—	₹76.54 करोड़
V. बॉडी एण्ड माइंड गैलरी	—	₹72.80 करोड़

3. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु दिनांक-25.11.2023 को निविदा प्रकाशित की गई। योजना के परामर्शी समूह द्वारा सुझाए गए सम्भावित कार्य एजेंसियों के साथ पटना में दिनांक 29.01.2024 एवं नई दिल्ली में दिनांक 01.02.2024 को प्री-बीड मीटिंग की गई। इसके अतिरिक्त प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य से संबंधित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ दिनांक 25.05.2024, 29.05.2024, 20.06.2024 एवं 28.06.2024 को ऑनलाईन प्री-बीड मीटिंग की गई। प्री-बीड मीटिंग में शामिल सम्भावित कार्य एजेंसियों द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में निविदा में भागीदारी बढ़ाने हेतु निविदा शर्तों में राज्य मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक 15.03.2024 के मद् सं०-108 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के उपरांत निम्नांकित संशोधन किए गए :-

- पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-8131 (एस.) दिनांक 24.07.2012 द्वारा निर्धारित जे.वी. क्राइटेरिया हेतु निर्गत निर्देश के कंडिका-5 (2) में लीड पार्टनर के अलावे अन्य पार्टनर हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत क्वालीफिकेशन क्राइटेरिया को घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।
- भवन निर्माण विभाग के संकल्प के अनुसार किसी एजेन्सी द्वारा 5 (पाँच) वर्षों में सम्पादित कार्य के अनुसार समान प्रकृति के कार्य अनुभव को मान्यता देने का प्रावधान है। विषयांकित योजना हेतु निविदा में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के ज्यादा से ज्यादा कुशल एजेन्सियों की भागीदारी एवं एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से समान प्रकृति के कार्य अनुभव प्राप्ति हेतु पूर्व निर्धारित अवधि 05 (पाँच) वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 10 (दस) वर्ष किया गया।

- प्री-बीड बैठकों में प्राप्त अनुरोध के आलोक में सम्यक विमर्शोपरांत पेमेंट शिड्यूल का पुनर्निर्धारण किया गया।

4. संभावित कार्य एजेंसियों द्वारा प्री-बीड मीटिंग में प्रदर्श कार्यों के लिए निर्धारित दरों के आकलन एवं भारतीय भागीदार के साथ जे.पी. निर्माण हेतु निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने जाने के प्राप्त अनुरोध के आलोक में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को दिनांक 04.07.2024 तक विस्तारित किया गया।

साईस म्युजियम अधिष्ठापन कार्य से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा डॉलर/यूरो में भुगतान किए जाने, विदेशों में फ्रेटिकेशन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान किए जाने, भविष्य में रख-रखाव संबंधी व्यवस्था, बैंक गारंटी की व्यवस्था से संबंधित कई ऐसी शर्तें रखी गईं जो वित्तीय नियमों एवं एस0बी0डी0 (SBD) की शर्तों के अनुसार व्यवहारिक नहीं थे। साईस म्युजियम निर्माण से संबंधित समान प्रकृति के कार्य अनुभव की कमी एवं निविदा शर्तों के अनुसार क्रिडेंसियल की कमी के कारण भारतीय कार्य एजेंसियों के द्वारा भी निविदा में भाग नहीं लिया गया। साथ ही कई बार आश्वासन के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा भारतीय एजेंसियों के साथ ज्वाईंट वेंचर (जे0वी0) बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं किया गया। इस प्रकार लगातार प्रयासों के बावजूद निविदा सफल नहीं हो सकी।

5. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य शीघ्र कराने के विषय पर विचार हेतु दिनांक 25.07.2024 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं भवन निर्माण विभाग की बैठक हुई। बैठक में निविदा के विफल रहने के कारणों पर विमर्शोपरांत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्युजियम (NCSM) नामक स्वायत्त सोसाइटी है जो देश में साईस म्युजियम अधिष्ठापित करने का कार्य करती है। एन.सी.एस.एम. क्रियेटिव म्युजियम डिजाइनर्स (CMD) के माध्यम से प्रदर्श अधिष्ठापन आदि का कार्य करती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अधीन सेक्शन-8 कंपनी है। एन.सी.एस.एम. द्वारा तारामंडल, पटना में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य किया गया है। इनसे प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य कराए जाने पर विचार किया जा सकता है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल काउन्सिल ऑफ साईस म्युजियम (NCSM) से कार्य कराए जाने की संभावना तलाशने हेतु भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं एवं परामर्शी समूह (लार्ड कल्चरल रिसोर्स) के प्रतिनिधि को कोलकाता भेजने का सुझाव दिया गया। भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं एवं परामर्शी समूह के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोलकाता जाकर NCSM के साथ बैठक की गई। प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए सुझाव के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विकास आयुक्त, सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सचिव, वित्त विभाग, सचिव, भवन निर्माण विभाग, NCSM एवं CMD के प्रतिनिधियों तथा दोनों विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

- I. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साईस सिटी, पटना के Be A Scientist एवं Basic Science गैलरी में प्रदर्श अधिष्ठापन का कार्य एन.सी.एस.एम. के माध्यम से क्रियेटिव म्युजियम डिजाइनर्स (CMD) के द्वारा कराए जाने पर विचार कर इस हेतु सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
- II. भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु एन.सी.एस.एम. से प्राप्त लागत प्राक्कलन (एन.सी.एस.एम. का सेवा शुल्क एवं जी.एस.टी. सहित) के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए।
- III. भवन निर्माण विभाग समानांतर रूप से शेष 03 गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु निविदा प्रकाशित कर कार्य एजेंसी के चयन का पुनः प्रयास करे। साथ ही समानान्तर रूप से एन.सी.एस.एम. के माध्यम से भी शेष 03 गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य कराए जाने के बिन्दु पर एन.सी.एस.एम. की सहमति एवं प्रस्ताव प्राप्त करने का प्रयास करे। दोनों विकल्पों में से एक के

938-

चयन पर व्यवहारिकता/प्राप्त अनुभव या लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए आगे निर्णय लिया जा सकता है।

- IV. प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य पूर्ण होने के उपरांत अगले 01 वर्ष तक एन.सी.एस.एम. रख-रखाव का कार्य करेगी। अगले 02 वर्षों के लिए रख-रखाव एन.सी.एस.एम. के माध्यम से ही कराए जाने की संभावना पर विचार कर पारस्परिक सहमति के आधार पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अथवा भवन निर्माण विभाग तथा एन.सी.एस.एम. अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत संस्था के बीच अलग से एकरारनामा/समझौता ज्ञापन की कार्रवाई का विकल्प रखा जा सकता है।

6. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य को 02 भागों में विभक्त किया जाएगा। प्रथम भाग में बी.ए. साइंटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साइंस गैलरी को रखा गया है जिसकी समेकित प्राक्कलित राशि ₹90.92 करोड़ है एवं द्वितीय भाग में सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनामी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरी, ब्रांडिंग साइनेज एवं अन्य असैनिक कार्य को शामिल किया गया है जिसकी समेकित प्राक्कलित राशि ₹246.91 करोड़ है।

7. प्रथम भाग के बी.ए. साइंटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साइंस गैलरी में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु एन.सी.एस.एम. के माध्यम से सी.एम.डी. द्वारा प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु ₹75,09,32,460.00 (पचहत्तर करोड़ नौ लाख, बत्तीस हजार चार सौ साठ रुपये) (NCSM के 05 प्रतिशत सेवा शुल्क एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) का प्रस्ताव दिया गया है जो इन दो गैलरियों के लिए स्वीकृत राशि ₹90.92 करोड़ के अन्तर्गत है। इस राशि में से नेशनल काउन्सिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) को सेवा शुल्क के रूप में ₹3,75,46,623.00 (तीन करोड़ पचहत्तर लाख छियालीस हजार छः सौ तेईस रुपये) मात्र एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स, कोलकाता को ₹71,33,85,837.00 (इकहत्तर करोड़ तैंतीस लाख पचासी हजार आठ सौ सैंतीस रुपये) मात्र का भुगतान किया जाएगा।

8. उक्त प्रस्ताव के आलोक में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य शीघ्रता से कराने के उद्देश्य से बी.ए. साइंटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साइंस गैलरी में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स को नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित किया जाएगा।

9. नेशनल काउन्सिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रथम फेज में बी.ए. साइंटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साइंस गैलरी के 35 प्रदर्श का अधिष्ठापन कार्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। अगले 12 माह में द्वितीय फेज के तहत बेसिक साइंस गैलरी के शेष बचे हुए 47 प्रदर्शों के अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार बी.ए. साइंटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साइंस गैलरी का संपूर्ण कार्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 24 माह में पूर्ण किया जाएगा।

10. नेशनल काउन्सिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) बी.ए. साइंटिस्ट गैलरी एवं बेसिक साइंस गैलरी में प्रदर्शों एवं ऑडियो-विजुअल सिस्टम के विस्तृत डिजाइन, फैब्रिकेशन, आपूर्ति, अधिष्ठापन, परीक्षण एवं क्रियान्वित करने हेतु जिम्मेवार होगी। प्रदर्शों के निर्माण एवं अधिष्ठापन से संबंधित सभी तकनीकी विशिष्टियों तथा मानकों का निर्धारण की जिम्मेवारी क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स, कोलकाता की होगी जो इस कार्य के लिए ओरिजनल इक्वूपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) माने जाएंगे।

11. नेशनल काउन्सिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) द्वारा भुगतान हेतु निम्नांकित प्रस्ताव दिया गया है जिसके अनुसार उनके द्वारा प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य को क्रियान्वित किया जाएगा :-

- (क). एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने के उपरांत 07 दिनों के भीतर एन.सी.एस.एम. द्वारा उद्धृत राशि ₹75,09,32,460.00 (पचहत्तर करोड़ नौ लाख बत्तीस हजार चार सौ साठ रुपये) का 30 प्रतिशत यानि ₹22,52,79,738.00 (बाईस करोड़ बावन लाख उन्नासी हजार

सात सौ अड़तीस रुपये) का भुगतान एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

- (ख). भवन निर्माण विभाग एवं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समिति द्वारा प्रथम फेज के प्रदर्शों के लिए शॉप ड्राईंग एवं विशिष्टियों के अनुमोदन के उपरांत द्वितीय किश्त के रूप में कुल लागत का 15 प्रतिशत यानि ₹11,26,39,869.00 (ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख उनतालीस हजार आठ सौ उनहत्तर रुपये) का भुगतान प्रो राटा के आधार पर एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।
- (ग). बी.ए. साईंटेस्ट गैलरी के सभी 12 प्रदर्शों के अधिष्ठापन एवं फेज-2 के प्रदर्शों हेतु शॉप ड्राईंग एवं विशिष्टियों के अनुमोदन के उपरांत तृतीय किश्त के रूप में कुल लागत राशि का 30 प्रतिशत यानि ₹22,52,79,738.00 (बाईस करोड़ बावन लाख उन्नासी हजार सात सौ अड़तीस रुपये) का भुगतान प्रो राटा के आधार पर एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।
- (घ). फेज-1 के अधीन अधिष्ठापित किए जाने वाले सभी प्रदर्शों के अधिष्ठापन के उपरांत चतुर्थ किश्त के रूप में कुल लागत राशि का 15 प्रतिशत यानि ₹11,26,39,869.00 (ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख उनतालीस हजार आठ सौ उनहत्तर रुपये) का भुगतान प्रो राटा के आधार पर एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।
- (ङ). फेज-2 के अधीन अधिष्ठापित किए जाने वाले सभी प्रदर्शों के अधिष्ठापन पूर्ण होने यानि बी.ए. साईंटेस्ट गैलरी एवं बेसिक साईंस गैलरी के सभी प्रदर्शों के अधिष्ठापन एवं हस्तान्तरण के उपरांत लागत राशि का शेष 10 प्रतिशत यानि ₹7,50,93,246.00 (सात करोड़ पचास लाख तिरानवे हजार दो सौ छियालीस रुपये) का भुगतान एन.सी.एस.एम. एवं क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स को किया जाएगा।

12. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स, कोलकाता के द्वारा क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स कोलकाता के माध्यम से कार्य कराने हेतु एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर के पूर्व विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सहमति एवं विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त कर ली जाएगी।

13. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना के सस्टेनेबल प्लेनेट गैलरी, एस्ट्रोनॉमी एण्ड स्पेस गैलरी, बॉडी एण्ड माइंड गैलरी, ब्रांडिंग साईंनेज एवं अन्य असेनिक कार्य को शामिल किया गया है जिसकी समेकित प्राक्कलित राशि ₹246.91 करोड़ है, के लिए भवन निर्माण विभाग निविदा प्रकाशित कर कार्य एजेंसी के चयन का प्रयास करे। साथ ही समानांतर रूप से एन.सी.एस.एम. से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स नामक संस्था के माध्यम से शेष 03 गैलरियों में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य कराए जाने के बिन्दु पर एन.सी.एस.एम. की सहमति एवं प्रस्ताव प्राप्त करने का प्रयास करे। दोनों विकल्पों में से एक के चयन पर व्यवहारिकता/प्राप्त अनुभव या लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सहमति के साथ भवन निर्माण विभाग को प्राधिकृत किया जाएगा।

14. उपर्युक्त के आलोक में डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स, कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131 ज़ा(ङ) के आलोक में नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित किया जाएगा।

15. प्रस्ताव पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (प्रशासी विभाग) एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

236

16. उपरत कंडिका-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-01.10.2024 की बैठक में मद संख्या-35 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भ०/मु०अ०(प०)यो०वि०वि०-8-181/2016(अंश-2) 8053(1) पटना, दिनांक- 4/10/24
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि इस संकल्प की पाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- भ०/मु०अ०(प०)यो०वि०वि०-8-181/2016(अंश-2) 8053(1) पटना, दिनांक- 4/10/24
प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- भ०/मु०अ०(प०)यो०वि०वि०-8-181/2016(अंश-2) 8053(1) पटना, दिनांक- 4/10/24
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मा. मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/मुख्य वास्तुविद/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निरूपण उपभाग, निदेशक, अनुश्रवण/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल/दक्षिण बिहार अंचल/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण एवं कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं०-2/पटना भवन प्रमंडल एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Small

गवर्न निर्माण विभाग

गवर्न निर्माण विभाग के संलेख श्रृंखलांक 7817 दिनांक 30.09.2024 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक -01.10.2024 में मद संख्या -35 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

- 35 डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी, पटना में प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम, कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स, कोलकाता को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131इ(ड) के आलोक में नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन करने के संबंध में।

35. स्वीकृत।

11/10/24
कुमार रवि

(निशीथ वर्मा)
सरकार के अपर सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग